प्रारंभिक परीक्षा

स्वामित्व योजना के 5 वर्ष

संदर्भ

स्वामित्व योजना को शुरू हुए 5 वर्ष पूरे हो गये हैं।

स्वामित्व योजना के बारे में -

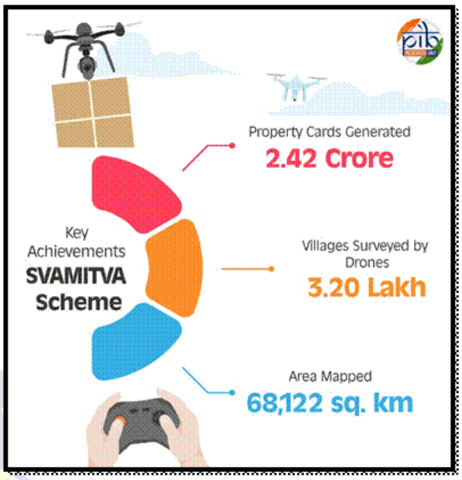

- **स्वामित्व(SVAMITVA) का अर्थ है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण।**
- यह **2021** में **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल)** के अवसर पर शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- **योजना के उद्देश्य**:
  - **वित्तीय संपत्ति सृजन**: संपत्ति का उपयोग ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है। इससे भू-खंडों का बाजार मूल्य बढ़ेगा और गांवों में ऋण उपलब्धता की सुविधा होगी।
  - **राजस्व और कराधान**: संपत्ति करों के निर्धारण और संग्रह को सक्षम बनाता है। सशक्त ग्राम पंचायतों वाले राज्यों को संपत्ति कर राजस्व से सीधे लाभ होगा।
  - **ग्रामीण नियोजन**: यह सटीक संपत्ति मानचित्र बनाकर और **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं** (**GPDPs**) में सुधार करके ग्रामीण नियोजन की सुविधा प्रदान करेगा।
  - **संपत्ति संबंधी विवादों में कमी**: कानूनी रूप से स्वामित्व अधिकार संपत्ति पर संघर्ष को कम करेगा। संपत्ति के बेहतर रिकॉर्ड से अवैध कब्ज़ों को रोकने में मदद मिलेगी।
- **नोडल मंत्रालय**: पंचायती राज मंत्रालय।
- **शामिल हितधारक**: पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- **महत्वपूर्ण विशेषताएँ**:
  - नवीनतम ड्रोन तकनीक और छवियों को लेने करने के लिए निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (**CORS**) तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण परिवारों को **"अधिकारों का रिकॉर्ड"** प्रदान किया जाता है।
  - ऐसे सटीक मानचित्र ज़मीनी भौतिक माप की तुलना में बहुत कम समय में भूमि जोत का स्पष्ट सीमांकन प्रदान करते हैं।

स्रोत: **PIB - SVAMITVA Scheme**

वैश्विक महामारी संधि(Global Pandemic Treaty)

संदर्भ

तीन साल से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद, **WHO** के सदस्य देश भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से **कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** के मसौदे पर सहमत हुए हैं।

महामारी संधि के मसौदे के मुख्य प्रावधान -

- **रोगजनक पहुंच और लाभ-साझाकरण प्रणाली** (**PABS):**
  - इसे महामारी के दौरान आंकड़ों और उत्पादों तक समय पर और निष्पक्ष पहुँच को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **फार्मा कंपनियों को** रोगजनकों के नमूनों और जीनोमिक डेटा तक पहुँच मिलती है।
  - इसके बदले में:
    - उन्हें **WHO** आवंटन के लिए **10%** टीके/निदान/चिकित्सा आरक्षित करने होंगे।
    - अन्य **10% सस्ती कीमतों पर बेचे जाने** चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझा करना:**
  - सदस्य देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को **सुविधाजनक या प्रोत्साहित** करना चाहिए।
  - **विकासशील देशों** को अपनी दवाओं और टीकों का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाना।
- **सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति**:
  - सरकारों को महामारी के दौरान बाजारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाएगा**,** ताकि पहुँच सुनिश्चित की जा सके**,** विशेषकर सार्वजनिक धन से विकसित दवाओं के लिए।

- यह संधि, मई में विश्व स्वास्थ्य सभा में अनुमोदित होने वाली है।
- यह **WHO** के इतिहास में **दूसरी कानूनी रूप से बाध्यकारी** संधि बन जाएगी - पहली - **2003 तंबाकू नियंत्रण संधि है**।

सीमाएं -

- **लागू करने की कोई शक्ति नहीं**: **WHO राष्ट्रीय कानूनों या नीतियों को रद्द नहीं कर सकता।**
  - **यह नहीं कर सकती**: **यात्रा प्रतिबंध लगाना**, **लॉकडाउन का आदेश देना** आदि।
- **अस्पष्ट कार्यान्वयन**: **PABS (**रोगज़नकों तक पहुँच और लाभ साझाकरण) प्रणाली किस प्रकार कार्य करेगी**,** इस पर अभी तक कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।
- **अमेरिकी भागीदारी नहीं**: संयुक्त राज्य अमेरिका ने संधि प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है।

स्रोत: Indian Express - Global Pandemic Treaty

समाचार संक्षेप में

टेक्स्ट नेक(Text Neck)

- हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार **18 से 44 वर्ष की आयु के 79% व्यक्ति लगभग हमेशा अपने फोन का उपयोग करते हैं, और प्रतिदिन केवल 2 घंटे ही फोन के बिना बिताते हैं।**

टेक्स्ट नैक के बारे में -

- टेक्स्ट नेक एक बार-बार होने वाली तनाव की चोट और दर्द सिंड्रोम है जो लंबे समय तक सिर नीचे करके हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों (जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट) के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है।
- यह उन लोगों में सामान्य है जो अक्सर उचित मुद्रा या अंतराल के बिना मोबाइल उपकरण का उपयोग करते हैं।
- **टेक्स्ट नेक के लक्षण**: सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, कंधे में दर्द, **मांसपेशियों की ताकत**, **सहनशक्ति और ग्रीवा की गतिशीलता में कमी।**

स्रोत: The Hindu - Text Neck

साओरा जनजाति

- **यह ओडिशा की प्राचीन जनजातियों में से एक है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत महाकाव्यों में भी मिलता है।**
- इन्हें **सवारस, सबरस, सौरा, सोरा** आदि कई नामों से पुकारा जाता है।
- इनकी अपनी **मूल भाषा** है जिसे **सोरा** कहते हैं।
- ये भारत की उन बहुत कम जनजातियों में से एक हैं जिनकी **भाषा की लिपि-सोरंग सोमपेंग** है।
- **साओरा के केवल 2 प्रकार हैं:**
  - **लांजिया साओरा**- जो पहाड़ियों पर रहते हैं और अभी भी अपने अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं।
  - **सुधा साओरा**- जो मैदानी इलाकों में रहते हैं और मुख्यधारा के समाज में समाहित हो गए हैं।

स्रोत: The Hindu - Saora Tribe

फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO)

- PLO ने उपराष्ट्रपति का पद स्थापित करने के लिए मतदान किया है, जिससे संभवतः फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त होगा।

PLO के बारे में -

- **इसकी कल्पना 1964 में मिस्र के काहिरा में अरब लीग शिखर सम्मेलन में की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष की मदद से फिलिस्तीन को आज़ाद कराना था।**
- यह छोटे अरब समूहों (हमास और इस्लामिक जिहाद को छोड़कर) का गठबंधन है।
- 1990 के दशक में, इसे आधिकारिक तौर पर अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा "फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि" के रूप में मान्यता दी गई थी।
- इसे पर्यवेक्षक दर्जे के तहत सभी संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

- **1988 में, इसने इज़राइल के साथ संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान (टू स्टेट सॉल्यूशन) का समर्थन किया।**

स्रोत: The Hindu - PLO

अंडे से बने मेयोनीज़ पर प्रतिबंध

- तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए कच्चे अंडे से बने मेयोनीज़ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मेयोनीज़ क्या है?

- यह एक अर्ध-ठोस पायस (emulsion) है जो अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, सिरका और अन्य सीजनिंग (seasonings) से बना है।
- अंडे की जर्दी का प्रोटीन एक पायसीकारक के रूप में कार्य करता है, जो तेल और पानी को मिलाता है।
- इसका उपयोग फास्ट फूड में व्यापक रूप से किया जाता है।

मेयोनीज़ में कच्चे अंडे के स्वास्थ्य जोखिम -

- **जीवाणु संदूषण का खतरा:**
  - कच्चे अंडों को गर्म करके नहीं पकाया जाता, इसलिए रोगाणु अंदर ही रह जाते हैं।
  - यह संभावित सूक्ष्मजीव संदूषण के कारण उच्च जोखिम वाला भोजन है, खासकर भारत जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु में।
- **चिंता के मुख्य रोगजनक:** साल्मोनेला और ई. कोली.

स्रोत: Indian Express - Mayonnaise

क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर(Quantum Gravity Gradiometer)

- नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों का पता लगाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रैडियोमीटर (QGG) तैनात करने का प्रस्ताव दिया है।

QGG के बारे में -

- **यह एक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म बदलावों का पता लगा सकता है।**
- **QGG के प्रमुख घटक:**
  - अल्ट्रा-कोल्ड परमाणु (आमतौर पर रुबिडियम या सीज़ियम)।
  - परमाणुओं में हेरफेर करने के लिए लेजर ऑप्टिक्स।
  - वैक्यूम चैंबर।
  - समय और सिंक्रनाइज़ेशन के लिए परमाणु घड़ियाँ।
- **संभावित अनुप्रयोग:**
  - भूमिगत अन्वेषण (खनिज, भूजल)।
  - टेक्टोनिक हलचल और भ्रंश का पता लगाना।
  - जलवायु विज्ञान (बर्फ पिघलना, जल पुनर्वितरण)।
  - जलभृत मानचित्रण।

स्रोत: Space

संपादकीय सारांश

क्या विश्व व्यापार संगठन अभी भी प्रासंगिक है?

संदर्भ

बढ़ते संरक्षणवाद और अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ के बीच, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे तत्काल संरचनात्मक सुधारों की मांग हो रही है।

विश्व व्यापार संगठन के बारे में -

- **स्थापना**: 1 जनवरी 1995 मारकेश समझौते द्वारा (1994 में हस्ताक्षरित)
    - **पूर्ववर्ती**: टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT), 1947
- **उद्देश्य:**
    - **मुक्त**, **निष्पक्ष और पूर्वानुमानित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** को बढ़ावा देना।
    - वैश्विक व्यापार के लिए **नियम-आधारित ढांचा** प्रदान करना।
    - सदस्य देशों के बीच **गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार** सुनिश्चित करना (जैसे**, MFN** और राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत)।
    - देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करना।
    - व्यापार क्षमता निर्माण में विकासशील देशों की सहायता करना।

विश्व व्यापार संगठन के मूल कार्य समाप्त हो गए हैं:

विश्व व्यापार संगठन तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **वार्ता कार्य:** विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक लक्ष्य गैर-भेदभाव और आम सहमति के सिद्धांत के तहत बहुपक्षीय समझौतों पर बातचीत करना था।
    - **दोहा विकास दौर** (2001 में शुरू) का उद्देश्य कृषि सब्सिडी और विकास संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों का समाधान करना था।
        - हालाँकि, असंगत महत्वाकांक्षाओं और लचीलेपन की कमी के कारण वार्ता रुक गई।
    - **केवल एक बहुपक्षीय समझौता - मत्स्य सब्सिडी समझौता** - आंशिक रूप से संपन्न हुआ है।
- **विवाद निपटान कार्य: विवाद निपटान तंत्र (DSM) विवाद निपटान समझौते (DSU)** द्वारा शासित होता है।
    - व्यापार विवादों के लिए डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करने वाला **अपीलीय निकाय** दिसंबर 2019 से निष्क्रिय पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने इसमें नियुक्तियों को अवरुद्ध कर दिया था - पहले राष्ट्रपति ओबामा के अधीन, और बाद में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा इसे और तीव्र कर दिया गया।
    - अमेरिकी आलोचकों का तर्क है कि अपीलीय निकाय ने अपने अधिदेश का अतिक्रमण किया और व्यापार नियमों की केवल व्याख्या करने के बजाय "कानून बनाना" शुरू कर दिया (**DSU** के अनुच्छेद 3.2 का उल्लंघन करते हुए जो न्यायिक अतिक्रमण को प्रतिबंधित करता है)।
- **व्यापार निगरानी कार्य: मारकेश समझौते के अनुच्छेद X के तहत**, WTO सदस्यों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
    - हालाँकि, विश्व व्यापार संगठन को अपारदर्शी व्यापार प्रथाओं की निगरानी करने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जो घरेलू व्यापार उपायों का खुलासा करने में विफल रहते हैं।
- **निर्णय लेने में गतिरोध**: **विश्व व्यापार संगठन सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने पर काम करता है (मारकेश समझौते का अनुच्छेद IX)।**
    - **मतदान आधारित सुधारों** को लागू करने के प्रयासों का भारत और अमेरिका जैसे देशों द्वारा विरोध किया गया है।

- यह कठोर संरचना बुनियादी संस्थागत सुधार को भी रोकती है, जैसे अपीलीय निकाय को बहाल करना या वार्ता में गतिरोध को हल करना।

- **एमएफएन सिद्धांत को कमजोर किया गया**:
  - **GATT का अनुच्छेद I (MFN क्लॉज)**: इसके अनुसार किसी एक देश को दिया गया कोई भी अनुकूल व्यवहार सभी **WTO** सदस्यों को मिलना चाहिए।
  - देश तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों (**FTAs)** को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो **GATT** के अनुच्छेद **XXIV** के तहत **MFN** नियम का अपवाद हैं।
  - **WTO** इन **FTA** की गहन जांच करने में विफल रहा है, जिससे **MFN** सिद्धांत की सार्वभौमिकता कमजोर हुई है।
- **भविष्य के संकट को टाला नहीं जा सकता:** डब्ल्यूटीओ में आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन शक्ति, लचीलेपन और विश्वास का अभाव है।
  - यह बढ़ते आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के समय में ईमानदार बहुपक्षीय जुड़ाव के लिए अनुकूल मंच नहीं है।

अमेरिका, चीन, भारत और विश्व व्यापार संगठन (WTO)

पहलू	संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन	भारत
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता	संस्थापक सदस्य (1995)	2001 में शामिल हुआ	संस्थापक सदस्य (1995)
WTO में भूमिका	प्रमुख वित्तपोषक और नियम निर्धारक; GATS, TRIPS के गठन में प्रभावशाली	विलय के बाद तीव्र आर्थिक वृद्धि; प्रमुख निर्यातक	विकासशील देशों के मुखर नेता; खाद्य सुरक्षा और विशेष एवं विभेदक उपचार (SDT) के रक्षक
मुख्य योगदान	सेवाओं और बौद्धिक संपदा के उदारीकरण की वकालत की गई	विलय के बाद बाज़ार खोलने के लिए, विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया गया	कृषि और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर विशेष ध्यान
व्यापार प्रथाओं की आलोचना	एकपक्षीय टैरिफ (धारा 232, 301); अपीलीय निकाय अवरोध	बाज़ार विकृति, सब्सिडी, सीमित पहुंच, प्रमुख क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता	सब्सिडी, ई-कॉमर्स पर सर्वसम्मति को अवरुद्ध करना; आयात पर उच्च शुल्क
विवाद निपटान रुख	नियमित रूप से DSM का उपयोग करता है; वर्तमान में अपीलीय निकाय नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है	प्रतिवादी के रूप में कई विवादों में शामिल; प्रक्रियात्मक अनुपालन बनाए रखता है	सक्रिय DSM प्रतिभागी; अपीलीय निकाय के सुधार का समर्थन करता है, विघटन का नहीं
सुधार पर रुख	अपीलीय निकाय को प्रतिबंधित करना चाहता है तथा बहुपक्षवाद की अपेक्षा	विकासशील देशों के लाभ को कमजोर करने वाले सुधारों का विरोध	सुधार का समर्थन करता है, लेकिन विकास संबंधी लचीलेपन एवं सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर बल देता है

	द्विपक्षीयवाद को प्राथमिकता देता है		
FTAs बनाम बहुपक्षवाद	ट्रम्प के कार्यकाल में द्विपक्षीय समझौतों की ओर रुख किया गया; बाइडेन के कार्यकाल में भी जारी है	विश्व व्यापार संगठन का उपयोग करता है किन्तु द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर करता है	बहुपक्षीय प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है, किन्तु अब ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ **FTAb** पर भी कार्य किया जा रहा है
विकासशील देश का दर्जा	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (उदाहरण के लिए- चीन) द्वारा विकासशील स्थिति की स्व-घोषणा का विरोध करता है।	विकासशील देश का दर्जा प्राप्त है, SDT का लाभ प्राप्त करता है	विकास के लिए SDT और नीतिगत स्थान के प्रबल समर्थक
असहमति के प्रमुख क्षेत्र	अपीलीय निकाय, MFN सिद्धांत, कृषि सब्सिडी पर विवाद	व्यापार में पारदर्शिता, सब्सिडी, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, कृषि सब्सिडी, WTO में श्रम/ पर्यावरणीय संबंधों का विरोध

निष्कर्ष

- **प्रतीकात्मक प्रासंगिकता:** यह अभी भी व्यापार के लिए एक मूलभूत कानूनी ढांचा तथा विवादों के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।
- **व्यावहारिक प्रासंगिकता:** न्यूनतम। विश्व WTO के मानदंडों को दरकिनार करते हुए, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है।
- **भविष्य की प्रासंगिकता इस पर निर्भर करती है:**
    - निर्णय लेने में सुधार (योग्य बहुमत के लिए आम सहमति)
    - DSM को पुनर्जीवित करना,
    - नई व्यापार वास्तविकताओं (जैसे- डिजिटल व्यापार, जलवायु-संबंधित व्यापार, औद्योगिक अतिक्षमता) को संबोधित करने के लिए, नियमों को अद्यतन करना
    - विकसित बनाम विकासशील देश के हितों का पुनर्संतुलन।

स्रोत: **The Hindu: Is the World Trade Organization still relevant?**

सरकारी स्कूलों को ठीक करना

संदर्भ

खराब सरकारी स्कूलों के कारण निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे शैक्षिक असमानता बढ़ रही है।

हाल के रुझान / बच्चे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं -

- स्कूल के परिणामों को सुरक्षित रखने के लिए कक्षा 11 और उससे पहले की कक्षाओं में सामूहिक रूप से छात्रों को रोका जाएगा।
- निजी संस्थानों में बढ़ती स्कूल फीस के कारण, सभी कक्षाओं में तनाव उत्पन्न हो रहा है।
- वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों को गलत तरीके से ड्रॉपआउट के रूप में लेबल किया जा रहा है।
- स्कूल छोड़ने वालों पर नज़र रखने के लिए, पुलिस के हस्तक्षेप के माध्यम से डेटा निगरानी।
- पाठ्यक्रम वितरण में भाषा और सांस्कृतिक पृथक्करण।
- **NEP 2020** के तहत व्यावसायिक पृथक्करण वंचित बच्चों को, प्रारंभिक ट्रैकिंग की ओर ले जाया जा रहा है।

समाज पर प्रभाव -

- शैक्षिक पहुंच और परिणामों में बढ़ती असमानता।
- बहिष्करणीय शिक्षा के कारण, लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि।
- निगरानी आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से गरीबी का अपराधीकरण।
- वंचित समुदायों के लिए सामाजिक गतिशीलता में कमी।
- अभिजात वर्ग और सार्वजनिक स्कूली शिक्षा के मध्य गहरा होता स्तरीकरण।
- सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में विश्वास का ह्रास।

सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

कारण	व्याख्या
1. संवैधानिक अधिदेश	संविधान का अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। खराब गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, इस मूल अधिकार को कमजोर करती है।
2. समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।	सरकारी स्कूल मुख्य रूप से वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उनकी उपेक्षा करने से, असमानता और सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा मिलता है।
3. स्कूल छोड़ने वालों को नहीं, बल्कि बाहर निकलने वालों को संबोधित करना।	कई बच्चे अपनी इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि समर्थन का आभाव, भाषा संबंधी बाधाओं, खराब शिक्षण पद्धति एवं अपमान के कारण उन्हें स्कूल से बाहर रखा जा रहा है।
4. शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना।	सार्वजनिक स्कूलों की दुर्दशा निजी संस्थानों के विकास को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा एक वस्तु बन जाती है एवं असमानता में वृद्धि होती है।

5. बाल भेद्यता को रोकना।	जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे बाल श्रम, कम उम्र में विवाह, अपराध और मादक दवाओं के दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, विशेषकर तब, जब राज्य की प्रतिक्रिया समर्थन के बजाय दंडात्मक होती है।
6. एक सुसंगठित समाज का निर्माण करना।	साझा सार्वजनिक स्कूली शिक्षा स्थान वर्ग, जाति एवं सांप्रदायिक विभाजन को समाप्त करनें में सहायता कर सकती है तथा आपसी सम्मान व लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है।

समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

समाधान	**कार्रवाई योग्य कदम**
1. अवसंरचनाओं एवं संसाधनों में सुधार	सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाएँ, शौचालय, स्वच्छ जल, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती	योग्य शिक्षकों को नियुक्त करना और उन्हें समावेशी, बहुभाषी, बाल-केंद्रित शिक्षण में प्रशिक्षित करना। मौजूदा रिक्तियों की तत्काल पूर्ति करना।
3. RTE अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना	कक्षा I से VIII तक नो-डिटेंशन नीति को उचित रूप से लागू करना, निरंतर मूल्यांकन करना तथा कमजोर शिक्षार्थियों को सुधारात्मक सहायता प्रदान करना।
4. डेटा-आधारित निगरानी को समाप्त करना	पुलिस के साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का डेटा साझा करने की नीति को त्यागना; इसके स्थान पर, बच्चों को पुनः शामिल करने के लिए समुदाय-आधारित तंत्र का उपयोग करना।
5. शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना	सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा के लिए आवंटित करना (जैसा कि कोठारी आयोग ने सिफारिश की है), जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए हो।
6. एकीकृत एवं समान स्कूल प्रणाली	एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ना, जहां सभी वर्गों के बच्चे समान सुविधाओं तथा पाठ्यक्रम के साथ समान स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें।
7. समावेशी पाठ्यक्रम	स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना, छात्रों के घरेलू ज्ञान को महत्व देना तथा रटने के स्थान पर आलोचनात्मक सोच को शामिल करना।
8. समुदायों और अभिभावकों को शामिल करना	उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की वास्तविक शक्ति एवं भागीदारी के साथ, स्कूल प्रबंधन समितियां स्थापित करना

स्रोत: Indian Express: Agree/ Disagree- Rising fee in Private schools of Delhi